संख्या- 129 /2020 / 1283 /चार-2020-28(बजट)/12

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 944/सं0नि0-2020-21 दिनांक 14 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-3855/चार-2013-28(बजट)/12, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1717.73 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष रू0 257.00 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तावन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2 - प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1 शासनादेश संख्या-3855/चार-2013-28(बजट)/12, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, शासनादेश संख्या-84//3201/चार-2015-28(बजट)/12, दिनांक 28 अगस्त, 2015, शासनादेश संख्या-138/2016/1109/चार-2016-28(बजट)/12, दिनांक 03 अगस्त, 2016, शासनादेश संख्या-25/2018/239/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 07 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-07/2019/3865/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 19 जनवरी, 2019 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुसार निदेशक, संस्कृति निदेशालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3 - उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92- के अधीन 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-08-आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/ दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या - 129 /2020 / 1283 /चार-2020- 28(बजट)/12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सी0एंड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
6- महाप्रबंधक (नि0-13) नोडल अधिकारी, सी0एंड डी0एस0 (उ0 प्र0 जल निगम) लखनऊ/ परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट आजमगढ़।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in